न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 09/2019 RCMS No.—2019/00056

सीताराम पुत्र हनुमान जाति जोगी निवासी चारणवास उर्फ कालीपहाडी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर।

..... रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार जमवारामगढ दिनांक 03.01.2019 मुकदमा संख्या 59/18 जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी व अन्य को मौके से बेदखल एवं 500/– रूपये शास्ती का आदेश दिया है।

———————

उपस्थितः–

1. श्री रिछपाल चौधरी व मदन लाल कुडी अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 19.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने निर्णय दिनांक 03.01.2019 से अपीलांट द्वारा ग्राम चारणवास उर्फ काली पहाडी तहसील जमवारामगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 457/217 किस्म गै0मु0 रास्ता रकबा 0.22 हैक्टेयर में रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि पर सम्वत् 2075 में अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर अपीलांट्स को अतिचारी मानकर उक्त आराजी गै.मु.रास्ता भूमि से बेदखल करने, व रूपये 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये की शास्ति आरोपित कर वसूल करने तथा अतिक्रमी अपीलांट्स को बेदखल करने के आदेश दिये गये। अपीलांट्स ने उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब करने तथा रेस्पाडेन्ट को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्राप्त हुई। पत्रावली पर बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया, कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय अपीलांट्स के विरूद्ध पारित किया है, वह पटवारी रिपोर्ट एवं त्रुटिपूर्ण नक्शे के आधार पर होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलांट के पिता सीताराम के पिता हनुमान व अन्य ने दिनांक 23.04.2009 को रास्ते हेतु तत्कालीन खसरा

नंबर 104/2 रकबा 17 बिस्वा भूमि को निःशुल्क राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण किया था। जिसका नामान्तकरण संख्या 596 द्वारा सरकार के नाम नामान्तकरण कर दिया। उक्त रास्ते की भूमि का वर्तमान खसरा नंबर 457/217 है तथा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार रकबा 0.22 हैक्टेयर है। रास्ते हेतु जिस भूमि का समर्पण किया उसकी चौडाई 15 फीट थी और उस समय 15 फीट चौडाई का रास्ता चिन्हित कर कब्जा मौके पर संभला दिया गया था, जो वर्तमान में भी 15 फीट चौडाई में ही मौजूद है। इस रास्ते से लगती हुई अपीलांट की शामलाती खातेदारी काश्त की कृषि भूमि स्थित है, जिसका खसरा नंबर 456/217 रकबा 3.55 हैक्टेयर है। अपीलांट की उक्त कृषि भूमि के पश्चित दिशा की तरफ मैन रोड से लगती हुई कमलेश, मुकेश, रामकुमार व सुरेश वगैरह की खातेदारी काश्त की कृषि भूमि है, जिन्होने भी रास्ते हेतु 15 फीट चौडी व 201 फीट लम्बी भूमि का विक्रय किया था तत्पश्चात क्रेतागण ने 15 फीट चौडी एवं 201 फीट लम्बी भूमि को राज्य के नाम समर्पण कर दिया। जिससे गै.मु.रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इससे स्पष्ट है कि रास्ते की चौडाई 15 फीट से अधिक नहीं है। राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते की जमीन की गलत तरमीम हो जाने के कारण राजस्व नक्शे की नाप बदल गई जिससे रास्ते की नाप 15 फीट चौडाई से अधिक कर तरमीम कर दी गई, तहसीलदार महोदय के समक्ष गलत तरमीम के आधार पर पटवारी रिपोर्ट पेश की गई है। उसी के आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाब दिये जाने का अवसर प्रदान किये बिना केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.01.2019 में मीठी देवी पत्नी श्रवण लाल के विरूद्व आदेश पारित किया है उक्त मीठी देवी नाम की कोई महिला ही नहीं है और ना ही इस नाम से कोई तामील हुई है एवं ना ही सुनवाई के समय हाजिर हुई है इस प्रकार काल्पनिक रूप से तथाकथित मीठी देवी के विरूद्व आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय में हीरा देवी पत्नी कानाराम के विरूद्व भी आदेश पारित किया है जो महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है जिस पर भी तामील नहीं हुई है। अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं रहा है, अपीलाधीन आदेश की आड में तहसीलदार जमवारामगढ को अपीलार्थी को उनके हक की जमीन से बेदखल करने पर आमादा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पत्रावली संख्या 59/18 बउनवानी सरकार बनाम सीताराम में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2019 को खारिज किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलांट्स का विवादित गै.मु.रास्ता पर अतिक्रमण किया है। विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज है। अपीलांट के विरूद्व धारा 91 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाकर गै.मु.रास्ता की भूमि पर तारबन्दी किये जाने एवं थडी रखकर अतिक्रमण किये जाने से अपीलांट्स को विवादित भूमि से बेदखली के आदेश दिनांक 03.01.2019 को पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिये है, वह उचित है। न्यायालय के आदेश की पालना में मौके

पर से बेदखली की कार्यवाही पुलिस इमदाद से की गयी। मौके पर बेदखली की कार्यवाही के दौरान फर्द कार्यवाही पर अपीलांट द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का सम्वत् 2075 में ग्राम ग्राम चारणवास उर्फ काली पहाडी तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 457/217 किस्म गै.मु.रास्ता कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर पर अवैध रूप से अतिक्रमण/कब्जा होने की पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.01.2019 पारित कर अपीलांट्स को बेदखली के आदेश दिये गये। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि नक्शे में गलत तरमीम किये जाने से अपीलाधीन भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज हो गया एवं गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील में अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नंबर 104/2 हाल खसरा नंबर 457/217 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम चारणवास उर्फ काली पहाडी का अपीलांट के पिता द्वारा निःशुल्क राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 596 स्वीकृत हो चुका है। अपीलांट के पिता द्वारा उक्त भूमि राजस्थान सरकार को समर्पण किये जाने से अपीलाधीन भूमि राजकीय सम्पत्ति है एवं राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज है। राजकीय भूमि गै.मु.रास्ते पर अपीलांट द्वारा सम्वत् 2075 में अतिचार किये जाने से पटवारी हल्का द्वारा नियमानुसार गै.मु.रास्ते पर अतिक्रमण की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार जमवारामगढ में प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.01.2019 पारित कर अपीलांट को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये है जो न्यायोचित है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार जमवारामगढ की मिसल निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.01.08 12:41:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: